न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, पाली कैम्प जालोर
पीठासीन अधिकारी : डॉ. बजरंगसिंह चौहान, आर.ए.एस.

अपील संख्या : 32 / 2017

अपीलाण्ट	बनाम	रेस्पोडेन्ट्स
1. लक्ष्मीकंवर पत्नी भंवरसिंह जाति राजपूत निवासी पचानवा तहसील आहोर जिला जालोर		1. जोगाराम उर्फ जोगसिंह 2. मांगूसिंह 3. सुरेन्द्रसिंह पि0 वगतावरसिंह जातिगण राजपूत निवासीगण पचानवा तहसील आहोर जिला जालोर 4. जति पत्नी सांकलिया 5. गलीया पुत्र सांकलिया 6. कुकी पत्नी रगीया 7. घीसाराम पुत्र रगीया 8. हीराराम पुत्र रगीया 9. राम पत्नी पतीया 10. छगनाराम पुत्र तारीया 11. कमला पुत्री तारीया जातिगण भांबी निवासीगण पचानवा तहसील आहोर जिला जालोर 12. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार आहोर

अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थित :–

1. श्री सैय्यद मुमताज़ अली, विद्वान अभिभाषक अपीलाण्ट
2. श्री सिकन्दर अली, विद्वान अभिभाषक, रेस्पोडेन्ट संख्या 1 से 3

–: निर्णय :–

दिनांक : 12.11.18

अपीलाण्ट की ओर से यह अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत विरूद्ध रेस्पोडेन्ट्स के प्रस्तुत कर सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी) आहोर द्वारा राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या 56 / 20135 जोगाराम उर्फ जोगसिंह बनाम सरकार वगैरा में पारित आदेश दिनांक 26.06.2017 को अपास्त कराने का निवेदन किया। अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेन्ट्स को जरिये सम्मन तलब किया। उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस सुनी गई।

राजस्व अपील प्राधिकारी पाली
2
राजस्व अपील प्राधिकारी पाली

विद्वान अभिभाषक अपीलाण्ट ने बहस में कथन किया कि रेस्पोडेन्ट संख्या 1 से 3 ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 251ए के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर अपनी खातेदारी भूमि खसरा नम्बर 95 रकबा 3.28 हैक्टेयर किस्म जाव दोयम, चाही दोयम में आने आने हेतु खसरा नम्बर 94 व 90 में से 20 फीट चौडा रास्ता प्रदान कराने का निवेदन किया तथा तहसीलदार आहोर के मार्फत भू0अ0नि0 से जांच रिपोर्ट तलब की गई। भू0अ0नि0 द्वारा प्रस्तुत जांच रिपोर्ट पर रेस्पोडेन्ट घीसाराम व गलाराम द्वारा आपत्ति प्रस्तुत की, जिस पर दिनांक 01.10.2016 को पुनः जांच रिपोर्ट प्रस्तुत की, जिसमें अंकित किया कि खातेदारान् बुलाने पर नहीं आए। उक्त जांच रिपोर्ट पर अपीलाण्ट एवं रेस्पोडेन्ट संख्या 4 से 11 द्वारा आपत्ति प्रस्तुत की तथा मौका कमिश्नर नियुक्त कराने का निवेदन किया, उक्त प्रार्थना पत्र को अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 20. 02.2017 को खारिज़ कर दिया गया, जिसके विरूद्ध अपीलाण्ट द्वारा निगरानी संख्या 904/2017 माननीय राजस्व मण्डल अजमेर में प्रस्तुत की, जिसमें दिनांक 17.03. 2017 को निर्णय पारित किया गया। माननीय मण्डल द्वारा निर्णय दिनांक 17.03. 2017 में निर्देश दिये गए कि तहसीलदार आहोर 15 दिवस के भीतर पक्षकारान् के रूबरू जांच कर न्यायालय में जांच रिपोर्ट प्रस्तुत करें। इसके पश्चात अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पत्रावली राजस्व लोक अदालत में नियत की गई, जिसमें अपीलाण्ट बाहर कर्नाटक में होने के कारण पेशी इल्तवा कराने का निवेदन किया, जिस पर रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ने एतराज किया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा तहसीलदार आहोर एवं दोनो भू0अ0नि0 की जांच रिपोर्ट व मजमे आम में प्रकट तथ्यों के आधार पर प्रस्तावित रास्ता व आवागमनका कोई अन्य विकल्प नहीं होने से उक्त रास्ते को कायम किया जाना न्यायोचित मानते हुए जैर अपील आदेश पारित किया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा यह माना है कि आवागमन का कोई अन्य विकल्प मौजूद नहीं है, यह तथ्य तर्कसंगत नहीं है, क्योंकि मौका फर्द दिनांक 01.10.2016 में खसरा नम्बर 85, 89, 88 व 94 की पूर्वी दिशा के लगता रास्ता खसरा नम्बर 95 में जाता है, जो रास्ता रेकर्डेड है एवं कदीमी है। इस प्रकार रास्ता उपलब्ध होने के बावजूद नया रास्ता कायम किया गया है, जो विधि विरूद्ध है। अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष जो भी मौका रिपोर्ट प्राप्त हुई है, वह अपीलाण्ट की अनुपस्थिति में तैयार की गई है, जो माननीय न्यायालय राजस्व मण्डल राजस्थान द्वारा पारित निर्णय की अवमानना की श्रेणी में परिलक्षित होता है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा रेकर्डेड रास्ता उपलब्ध होने के बावजूद नया रास्ता प्रदान कराने का निर्णय पारित किया है, जो विधि विरूद्ध है। अतः अपील स्वीकार करावें एवं जैर अपील निर्णय को अपास्त करावें।

विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेन्ट्स ने अपनी बहस में कथन किया कि रेस्पोडेन्ट द्वारा अपनी खातेदारी भूमि में आवागमन का मार्ग उपलब्ध नहीं होने पर अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 251ए के तहत अपीलाण्ट्स की खातेदारी भूमि में से रास्ता प्रदान कराने का निवेदन किया। जिस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा सिलसिलेवार रिपोर्ट तलब की गई, जिनमें

राजस्व अपील प्राधिकारी पाली
राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

रेस्पोडेन्ट की भूमि में आवागमन के मार्ग का अभाव सिद्ध होना तथा निकटतम मार्ग अपीलाण्ट एवं रेस्पोडेन्ट संख्या 4 से 11 की भूमि में से प्रस्तावित होने के कारण अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जैर अपील निर्णय पारित किया गया। तहसीलदार ने अपनी रिपोर्ट में यह स्पष्ट अंकित किया गया है कि रेस्पोडेन्ट की भूमि में आवागमन हेतु वैकल्पिक मार्ग उपलब्ध नहीं है तथा चाहा गया मार्ग सुविधाजनक उपयोग के लिए नहीं होकर आत्यांतिक आवश्यक है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 251ए के तहत संक्षिप्त कार्यवाही/प्रक्रिया अपनाते हुए काश्तकारों को राहत प्रदान करने के प्रावधान है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा समस्त तथ्यों का विवेचन करते हुए रास्ते की आत्यांतिक आवश्यकता सिद्ध होने पर जैर अपील आदेश के जरिये रास्ता प्रदान कराने का अनुतोष दिया गया है, जिसमें किसी प्रकार की विधिक त्रुटी नहीं है। माननीय राजस्व मण्डल द्वारा पारित निर्णय की अनुपालना में दिनांक 21.04.2017 को मौका निरीक्षण किया गया, जिसमें अपीलाण्ट के ससुर मौके पर मौजूद थे, किन्तु उन्होने हस्ताक्षर करने से इन्कार किया। इसके अतिरिक्त जैर अपील निर्णय पारित किया, उस समय अपीलाण्ट के अधिवक्ता मौजूद थे। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा समस्त तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुए जैर अपील निर्णय पारित किया है, जिसमें किसी प्रकार की विधिक त्रुटी नहीं है। जैर अपील आदेश की पालना हो चुकी है तथा रास्ते का नामान्तरकरण भी दायर किया जा चुका है। अब उक्त आदेश को खारिज़ किये जाने का कोई आधार नहीं है। अतः अपील खारिज करावें।

बहस पर मनन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख का अवलोकन किया। रेस्पोडेन्ट संख्या 1 से 3 द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 251ए के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर अपीलाण्ट एवं रेस्पोडेन्ट संख्या 4 से 11 की खातेदारी भूमि खसरा नम्बर 90 व 94 में से रेस्पोडेन्ट के आवागमन सुचारू करने हेतु रास्ता प्रदान कराने का अनुतोष चाहा। राजस्व रेकर्ड का अवलोकन करने पर यह प्रकट होता है कि वांछित रास्ते की भूमि अपीलाण्ट व रेस्पोडेन्ट संख्या 4 से 11 की खातेदारी के तौर पर राजस्व रेकर्ड में दर्ज है।

भू0अ0नि0 उम्मेदपुर द्वारा दिनांक 01.07.2015 को प्रकरण में विवादित आराजी में से रास्ते के सम्बन्ध में मौका निरीक्षण कर दिनांक 17.08.2015 को तहसीलदार आहोर के समक्ष रिपोर्ट प्रस्तुत की, जिसे तहसीलदार आहोर द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया। भू0अ0नि0 द्वारा उक्त रिपोर्ट में रेस्पोडेन्ट संख्या 1 से 3 की खातेदारी भूमि में आवागमन का वैकल्पिक मार्ग का अभाव होना बताया तथा वांछित रास्ते की आत्यांतिक आवश्यकता होना जाहिर करते हुए अपीलाण्ट एवं रेस्पोडेन्ट संख्या 4 से 11 की भूमि में से मार्ग प्रदान कराने का निवेदन किया। उक्त रिपोर्ट पर अपीलाण्ट द्वारा आपत्ति प्रस्तुत की। इसी प्रकार रेस्पोडेन्ट गलाराम व घीसाराम द्वारा भी आपत्ति प्रस्तुत की गई। इस पर अधीनस्थ

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

न्यायालय द्वारा दिनांक 05.09.2016 को आदेश पारित करते हुए भू0अ0नि0 उम्मेदपुर को पुनः मौका जांच कर रिपोर्ट प्रस्तुत करने के आदेश पारित किए। उक्त आदेश की पालना में भू0अ0नि0 द्वारा दिनांक 01.10.2016 को मौका निरीक्षण कर अपनी रिपोर्ट दिनांक 06.10.2016 को अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की, जिसमें रिपोर्ट पूर्व में प्रस्तुत मौका जांच रिपोर्ट दिनांक 17.08.2015 के अनुरूप ही थी। जिसमें नवीन तथ्य यह अंकित किया कि वांछित भूमि के विकल्प के रूप में खसरा नम्बर 113 गै0मु0 रास्ता में खसरा नम्बर 94 के उत्तर की माठ के सहारे सहारे तथा इसी खसरा नम्बर के पश्चिमी माठ के सहारे सहारे मौका जांच कर नाप किया गया, जो 504 वर्गमीटर बनता है तथा खसरा नम्बर 90 की पश्चिमी माठ के सहारे सहारे व खसरा नम्बर 94 की पश्चिमी माठ के सहारे सहारे दूरी 370 मीटर बनती है। दोनों का तुलनात्मक विश्लेषण करने पर निकटवर्ती खसरा नम्बर 80 से लगता हुआ रास्ता खसरा नम्बर 94 व 90 से गुजरने वाले मार्ग को लघुतम मार्ग होना बताया। इस पर अप्रार्थीगण द्वारा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर भू0अ0नि0 द्वारा वास्तविक तथ्यों को पटल पर नहीं लाने का हवाला देते हुए खसरा नम्बर 95 में आवागमन हेतु खसरा नम्बर 94 की पूर्वी माठ के सहारे स्थित मार्ग को दृष्टिगत रखते हुए मौका कमिश्नर नियुक्त कराने का निवेदन किया, जिसे अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 20.02.2017 को खारिज कर दिया। उक्त आदेश को माननीय राजस्व मण्डल द्वारा अपने निर्णय दिनांक 17.03.2017 के जरिये खारिज़ कर यह निर्देश दिये कि तहसीलदार स्वयं उभयपक्षकारान की उपस्थिति में मौका देख कर मौका रिपोर्ट 15 दिवस के भीतर अधीनस्थ न्यायालय में प्रस्तुत करें। तद्नुसार उपखण्ड अधिकारी मौका रिपोर्ट प्राप्त होने के 30 दिवस के भीतर उनके समक्ष लम्बित प्रकरण का विधिवत रूप से निस्तारण करें। उक्त आदेश की पालना में तहसीलदार आहोर द्वारा अपनी रिपोर्ट दिनांक 26.04.2017 को अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की, जिसमें निवेदन किया कि खसरा नम्बर 95 में आवागमन हेतु खसरा नम्बर 94 व 90 से ही आवागमन हो सकता है। इसके पश्चात अधीनस्थ न्यायालय द्वारा राजस्व लोक अदालत में अपीलाण्ट की अनुपस्थिति में जैर अपील निर्णय पारित किया गया।

प्रकरण का समग्र अवलोकन करने पर यह तथ्य प्रकट होता है कि प्रकरण में सिलसिलेवार जो रिपोर्टें प्राप्त हुई है, वे परस्पर विरोधाभाषी है। प्रत्येक रिपोर्ट में नवीन तथ्य प्रकट हुए है, किन्तु जिन तथ्यों के आधार पर अपीलाण्ट द्वारा पुनः मौका निरीक्षण की मांग की जाती रही, मौका कमिश्नर द्वारा उन तथ्यों पर किसी प्रकार का ध्यान ही नहीं दिया गया। इसके अतिरिक्त तहसीलदार द्वारा जो जांच की गई, उसमें वैकल्पिक मार्ग का अभाव होना बताया, जबकि भू0अ0नि0 द्वारा जो मौका जांच रिपोर्ट दिनांक 01.10.2016 को तैयार की गई, उसमें वैकल्पिक मार्ग की उपलब्धता जाहिर की। इसके अतिरिक्त अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पक्षकारान् में सहमति के बिना ही राजस्व लोक अदालत में जैर अपील निर्णय पारित किया। इस

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

सम्बन्ध में विधिक प्रश्न प्रकट होता है कि क्या पक्षकारान की अनुपस्थिति में एवं पक्षकारान् की सहमति के बिना लोक अदालत के माध्यम से पारित निर्णय विधि सम्मत है अथवा नहीं ? इस सम्बन्ध में इस सम्बन्ध में इस सम्बन्ध में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा आर0सी0आर0 (सिविल) 2006 (4) पेज 947 सहित विभिन्न निर्णयों में यह सिद्धान्त प्रतिपादित किया कि " Legal Services Authorities Act 1987, Section 20 - Power of disposal of cases by Lok Adalat - No order can be passed by Lok Adalat if no compromise or settlement is or could be arrived at between parties" इसका विस्तृत विवेचन इस प्रकार किया है कि "The specific language used in sub-section of Section 20 makes it clear that the Lok Adalat can dispose of a matter by way of a compromise or settlement between the parties, Two crucial terms in sun-section (3) and (5) of Section 20 are "compromise" and "settlement". The former expression means settlement of differences by mutual concessions. It is an agreement reached by adjustment of conflicting or opposing claims by reciprocal modification of demands. As per Terms de la Ley, 'compromise is a mutual promise of two or more parties that are at controversy. As per Bouvier it is "an agreement between two or more persons, who, to avoid a law suit, amicably settle their differences, on such terms as they can agree upon" The word "compromise" implies some element of accommodation on each side. It is not apt to describe total surrender. A compromise is always bilateral and means mutual adjustment. "Settlement" is a termination of legal proceedings by mutual consent. If no compromise or settlement is or could be arrived at, no order and be passed by the Lok Adalat." इसी प्रकार एस0बी0 सिविल रिट याचिका संख्या 9194/2016 में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा निर्णय पारित करते हुए यह अभिमत प्रकट किया कि जब पक्षकारान् के मध्य राजीनामा अथवा सहमति नहीं हो, तो लोक अदालत के माध्यम से आदेश पारित किया जाना विधि सम्मत नहीं है। उक्त अभिनिर्णयों से हस्तगत प्रकरण पूर्णतः प्रभावित होता है। हस्तगत प्रकरण में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विधि में प्रदत्त प्रक्रिया की पालना किए बिना ही लोक अदालत के माध्यम से पक्षकारान में सहमति के बिना ही लोक अदालत में जैर अपील निर्णय पारित किया है, जो विधि सम्मत नहीं होने के कारण समर्थन योग्य नहीं है। इसके अतिरिक्त अधीनस्थ न्यायालय द्वारा परस्पर विरोधाभाषी रिपोर्ट प्राप्त होने के बावजूद भी वास्तविक तथ्यों की सम्यक् जांच किए बिना जैर अपील आदेश पारित किया गया है, जो यथावत रखने योग्य नहीं पाया जाता है।

परिणाम स्वरूप अपीलाण्ट द्वारा प्रस्तुत अपील स्वीकार की जाती है तथा सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी) आहोर द्वारा राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या 56/20135 जोगाराम उर्फ जोगसिंह बनाम सरकार वगैरा में पारित आदेश दिनांक 26.06.2017 को अपास्त किया जाकर प्रकरण इन निर्देशों के साथ अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया जाता है कि प्रकरण में विवादित आराजी एवं रास्ते के सम्बन्ध में मौका जांच करने हेतु तहसीलदार की अध्यक्षता में कमेटी गठन कर स्वयं तहसीलदार द्वारा रूबरू पक्षकारान् के मौका निरीक्षण कर खसरा नम्बर 80 से आने

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

वाले मार्ग एवं खसरा नम्बर 90 व 94 से आने वाले मार्गों पर गौर करते हुए भू0अ0नि0 की रिपोर्ट दिनांक 01.10.2016 में सुझाए गए वैकल्पिक मार्ग आदि को सम्मिलित करते हुए लघुतम मार्ग के सम्बन्ध में टिप्पणी करते हुए पक्षकारान् को समुचित सुनवाई का अवसर प्रदान कर राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 251ए के आज्ञापक प्रावधानों की परिधी में प्रकरण की जांच कर विधि सम्मत निर्णय पारित करें। निर्णय की प्रतिलिपि के साथ अधीनस्थ न्यायालय का रेकर्ड लौटाया जावे। निर्णय की सत्य प्रति के साथ अधीनस्थ न्यायालय का रेकर्ड लौटाया जावे।

यह निर्णय आज दिनांक 12.11.2018 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

राजस्व अपील प्राधिकारी पाली

(डॉ. बजरंगसिंह चौहान)
राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली
राजस्व अपील प्राधिकारी, पाली
कैम्प जालोर